

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक 288 /29-1-(1) देहरादून दिनांक 23 अगस्त, 2022,

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी।

विषय:- मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद संख्या- 594-595/2020 उत्तरांचल वन श्रमिक संघ, रानीबाग व अन्य बनाम ओम प्रकाश व अन्य एवं अवमानना वाद संख्या-849- 850/2021 पृथ्वी सिंह राण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डेली वेजेज वर्कर्स एसोसिएशन बनाम एस0एस0 संघू व अन्य के संबंध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक- 203/29-1-(1) दिनांक 03.08.2022.. एवं 234/29-1(1) दिनांक 08.08.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा दैनिक श्रमिकों के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना में यह भी स्पष्ट किया जाय कि सम्बन्धित श्रमिकों को किस पद के सापेक्ष वेतन भुगतान किया जा रहा है।

अतः उक्त सूचना शीघ्र निर्धारित प्रपत्र (जो www.forest.uk.gov.in वेबसाइट पर भी अपलोड किया है) पर प्राप्त कर ई-मेल/लौटती डाक से शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय से आच्छादित समान प्रकृति के कोई दैनिक श्रमिक आदेशों के अनुपालन से वांचित न रह जाय।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,

पत्रांक 288 /29-1-(1) दिनांकित।

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को इस आशय से प्रेषित की पत्र को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,

I.T.C.
द. कपलीस का
CCF 24/8